

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

कमाक: एफएसएसए/2019/397

दिनांक- 17/5/19

—:आदेश:—

निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थान/सभाग में निर्धारित अवधि तक खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण/निरीक्षण का कार्य करेंगे—

क्र. सं.	एफएसओ नाम एवं पदस्थापन स्थान	कार्यव्यवस्थार्थ कार्यसम्पादन क्षेत्र/सभाग	कार्यसम्पादन अवधि
1	श्री विशाल मित्तल, केन्द्रीय दल	जोन उदयपुर	दिनांक 20 05 2019 से 30 05 2019 तक
2	श्री भानु प्रताप सिंह गहलोत, केन्द्रीय दल		
3	श्री विनोद कुमार शर्मा, केन्द्रीय दल	जोन अजमेर	दिनांक 20 05 2019 से 30 05 2019 तक
4	श्री सदीप अग्रवाल, केन्द्रीय दल		
5	श्री राजेश अग्रवाल, केन्द्रीय दल		

उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के तौर पर उन जिलों में नमूनीकरण का कार्य किया जाये, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त है अथवा जिले में मेले/प्रदर्शनी एवं अन्य अयोजन किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन किये गये नमूनीकरण/निरीक्षण की सूचना प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय की ईमेल आईडी adrh-rj@nic.in पर आवश्यक रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक - 17/5/19

कमाक. एफएसएसए/2019/397

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निजी सचिव माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 02 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
- 03 अतिरिक्त निदेशक (ग्रा स्वा) मुख्यालय।
- 04 राज्य अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा), मुख्यालय।
- 05 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर एवं अजमेर।
- 06 समस्त सम्बन्धित अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पेपर स्लिप व अन्य सामग्री तथा वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 07 सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरन्त पालनार्थ।
- 08 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईड पर अपलोड एवं सम्बन्धित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
- 09 आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।